

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023

जयपुर, दिनांक 01.04.2025

:- आदेश :-

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Estt.B2(v)/1/WA/2025/1684 दिनांक 21.03.2025 के अनुसरण में जिला जज केडर के अधिकारी Shri Kamal Lohia (RJ00604) Additional District and Sessions Judge No.2, Sriganganagar का अपने पद के साथ-साथ अतिरिक्त पदस्थापन Judge, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Sriganganagar के रिक्त पद पर एवं Shri Mahendra Kumar Dave (RJ00414) Judge, Commercial Court, Udaipur का अपने पद के साथ-साथ अतिरिक्त पदस्थापन Judge, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Udaipur के रिक्त पद पर अग्रिम आदेशों तक किया जाता है।

Note- 1. The officers shall dispose off minimum 40% additional work as per circular of standard of work.

2. The cases in which there are directions of higher Court for time bound disposal, shall be decided on priority basis.

3. Officer(s) is/are directed to comply the Order No. 4/P.I. Dated 13.03.2023

आज्ञा से,

8/1-04-2025

(सोहन लाल मीना)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, (श्रम विभाग) राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर/उदयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अति0 श्रम आयुक्त, (मु0) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 01.04.2025 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावे।
9. संवन्धित न्यायाधीश/न्यायालय।
10. डिविजनल इंजिनियर, टेलिफोन श्रीगंगानगर/उदयपुर।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 01.04.2025 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

8/1-04-2025

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
14. सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
17. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
18. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
19. अति, निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
20. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

8/1-04-2025

शासन उप सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Estt.b2(v)1/WA/2025/1989

Date :03.04.2025

Copy forwarded to the following for information and necessary action: -

1. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
4. The Principal Secretary to the Govt, Law Deptt-Cum-Legal Remembrancer, Raj., Jaipur.
5. The Secretary to the Govt. of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.
6. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.
7. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
8. The Registrar General/ Registrar(Vig.)/(Admn.)/ (Rules)/ (Class.)/ (Exam.)/ OSD(F&I)/ (Judicial), Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
9. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur/ Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
10. The District & Sessions Judge, Sriganganagar/Udaipur with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Officers/posts/Treasury Officers in your Judgeship as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015
11. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/
Confidential/ RJS Leave/
A.A.O.(Pension/Budget)


(CHANCHAL MISHRA)
REGISTRAR GENERAL

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023

जयपुर, दिनांक 01.04.2025

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023 दिनांक 01.04.2025 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एवं धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 में उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम सं. 03 में वर्णित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क.सं.	अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्री कमल लोहिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नं.2 श्रीगंगानगर।	न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर।
2	श्री महेन्द्र कुमार दवे, न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर।	न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर।

राज्यपाल के आदेश से,

8
1-04-2025

(सोहन लाल मीना)
शासन उप सचिव

● प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 01.04.2025 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राज0 जयपुर।
5. न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर/उदयपुर।
6. श्री कमल लोहिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नं.2 श्रीगंगानगर।
7. श्री महेन्द्र कुमार दवे, न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर।
8. अति0 श्रम आयुक्त, (मु0) श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 01.04.2025 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

8
1-04-2025

शासन उप सचिव